अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 163/26 (CIS NO. 163/2026)

रामकृष्ण अग्रवाल बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस याचिका सं0 163 / 2026

रामकृष्ण अग्रवाल बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 18.06.2026

अधिवक्ता रेफरेंसकर्ता श्री विष्णुदत्त भारद्वाज उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2, अनुपस्थित। जवाब हेतु अवसर चाहा।

बहस अंतरिम स्थगन सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से निम्न अनुतोष चाहा गया है कि अप्रार्थी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं0 2 अवैध निर्माणकर्ता श्रीमती माया देवी पत्नी श्री झाबरमल द्वारा भूखण्ड सं0 47 बी, सैण्ट्रल कालोनी फेज–3, महिला थाना के पीछे, रोड नं0 8 के पास, सीकर रोड, जयपुर में सेटबेक वॉयलेशन कर जविप्रा के नियमों के विपरीत जेडीए बायलाज का उल्लंघन कर जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान के विपरीत जीरो सेटबेक पर अवैध निर्माण व 5' अवैध बालकोनी का निर्माण कर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के अवैध निर्माण किया गया है, जो जेडीए बायलाज का पूर्ण रूप से उल्लंघन है तथा मौके पर अवैध रूप से 4–5 भैसों को बांधकर अवैध डेयरी व किराने की दुकान का व्यावसायिक उपयोग व संचालन किया जा रहा है, को रोके व किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश प्रदान करे।

जविप्रा की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निम्नप्रकार कथन किया कि जविप्रा के यहां शिकायत प्रापत होने पर पूर्णतया जांच पडताल करने के उपरांत मौके पर बतायेनुसार मुन्नी देवी को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32, 33 का नोटिस दिनांक 18.02.2026 को जारी कर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। क्योंकि रामकृष्ण द्वारा आवासीय कॉलोनी सैण्ट्रल कॉलोनी फेज 3 के प्लाट

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 162/26 ....(CIS NO. .....)

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	अह इस तामील हुए

नं0 79 पर करीब 30 बाई 50 फीट एरिया में चारों तरफ जीरो सेटबेक पर करीबन 10 फीट ईटों की उंचाई में दीवार का निर्माण कर लोहे के एग्लो पर टीनशेड लगाकर उंपर चारों तरफ दीवार के उंपर कवर कर टीनशेड का गोदाम बना कर अंदर कॉलम भरकर

फर्श भरने का कार्य किया जा रहा है जो जेडीए बायलाज का उल्लंधन होने के कारण अवैध व अनाधिकृत है तथा जविप्रा अवैध निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस याचिका का निस्तारण निम्नानुसार किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि वह मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से निरीक्षण करे तथा अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भूखण्ड सं0 47 बी, सैण्ट्रल कालोनी फेज–3, महिला थाना के पीछे, रोड नं0 8 के पास, सीकर रोड, जयपुर में सेटबेक वॉयलेशन कर जविप्रा के नियमों के विपरीत जेडीए बॉयलाज का उल्लंघन कर जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान के विपरीत जीरो सेटबेक पर किसी भी प्रकार का अवैध/अनाधिकृत निर्माण/नियम विरूद्व निर्माण पाया जाने पर विधिनुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाये। रेफरेंस याचिका का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **18.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 163/26 (CIS NO. ....)

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।	